UPKS010019172026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अ0जा0/अ0ज0जा0 (अ0नि0) अधिनियम, कौशाम्बी।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 76/2026

1– विजय सिंह पुत्र रामबालक,
2– अभिषेक सिंह पुत्र विजय सिंह,
3– विवेक सिंह पुत्र विजय सिंह,
निवासीगण जैतपुर पूरे हजारी, थाना–सराय अकिल, जनपद–कौशाम्बी।

. . . . . अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य . . . . . अभियोजन

12.06.2026

1. जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण **विजय सिंह, अभिषेक सिंह व विवेक सिंह** की ओर से मु.अ.सं.–137/2025 अंतर्गत धारा–115(2), 352, 351(2), 324(4) बी.एन.एस., थाना सराय अकिल, जनपद कौशाम्बी के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पश्चात् आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. वादी मुकदमा को प्रेषित नोटिस तामील है।

3. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना, केस डायरी व अन्य सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 02.06.2025 को समय लगभग 4:00 बजे शाम प्रार्थी के ही गाँव के विजय सिंह पुत्र रामबालक व उनके बेटे अभिषेक सिंह पुत्र विजय सिंह, विवेक सिंह पुत्र विजय सिंह के द्वारा वादी मुकदमा के भाई धर्मेन्द्र कुमार को राड़ एवं लाठी–डण्डे से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमला कर दिया और वादी मुकदमा जब बीच–बचाव करने गये तब उसको भी मारा, जिससे वादी मुकदमा का मोबाइल I Phone 16 Pro भी तोड़ दिया और कहा पासी मादरचोद तुम दबंग हो, कहते हुए मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दिया।

5. आवेदक/अभियुक्तगण का अपने जमानत प्रार्थना पत्र में एवं उसके विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वे निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। सही बात यह है कि प्रार्थीगण के खेत पर वादी की बकरी के द्वारा फसल चराई जा रही थी, जिसका प्रार्थीगण द्वारा विरोध किये जाने पर कहासुनी हुई, लेकन वादी मुकदमा

जिला पंचायत सदस्य होने के नाते प्रशासन से दबाव बनाकर प्रार्थीगण के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त लिखवाया गया है। दौरान विवेचना डाक्टरी मुआयना करायी गयी है, जिसमें सारी चोटें सामान्य प्रकृति की है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही सजायाप्ता दोषी है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पश्चात् आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्तगण द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा को छोड़कर शेष धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध में सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में गुणदोष पर बिना विचार किये जमानत का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

8. अभियुक्तगण **विजय सिंह, अभिषेक सिंह व विवेक सिंह** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दाखिल जमानतनामें एवं व्यक्तिगत बंधपत्र के अधीन अंकन 20,000-20,000/—(बीस-बीस हजार) रूपये का नवीन व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर उन्हे जमानत पर रिहा किया जाये।

क— अभियुक्तगण प्रकरण के किसी भी साक्षी को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई धमकी, वचन या प्रवंचन नहीं करेगें और न ही साक्ष्य को विनष्ट करने में किसी प्रकार से लिप्त होगा।

ख— अभियुक्तगण विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगे और वे विचारण के दौरान प्रत्येक तिथियों पर व्यक्तिगत या जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगे।

ग— अभियुक्तगण, आरोप व धारा—313 दं0प्र0सं0 के चरण पर व्यक्तिगत उपस्थित रहेगा।

घ— उपरोक्त शर्तो की अवहेलना किए जाने पर न्यायालय को यह अधिकार रहेगा कि वह अभियुक्त को दी गयी जमानत के सम्बन्ध में यथाविधि कार्यवाही संचालित करे।

विशेष न्यायाधीश
अ0जा0/अ0ज0जा0(अ0नि0) अधिनियम
कौशाम्बी।

Digitally signed by AMIT MALAVIYA
Date: 2026.06.12 17:13:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court